'निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए 948 नियम समाप्त'

राज्य, जागरण • लखनऊ : उत्तर प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए बीते कुछ वर्षों में 33 विभागों के 948 अनावश्यक नियमों व अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया है। इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने गुरुवार को होटल ताज में बिजनेस रिफार्म्स एक्शन प्लान-2024 पर आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यूपी को बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2020 के तहत 'अचीवर स्टेट' के रूप में मान्यता दी गई है। वहीं, वर्ष 2022 में प्रदेश ने सुधारों के कार्यान्वयन में 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। इन्वेस्ट यूपी और भारत सरकार के औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के सहयोग आयोजित कार्यशाला में दिल्ली, बिहार और झारखंड राज्य के अधिकारियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई।